



# कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

कालोनी सेल विभाग

E-mail : colonycell@gmail.com

सचिव  
नगर पालिक निगम

क्रमांक: 4679 / कॉलोनी सेल / 2020

दिनांक 22 FEB 2020

प्रति,

✓ (1) सार्धक रियल बिल्ट प्रायवेट लिमिटेड तर्फे जयरेक्टर श्री अश्विन पिता श्री चंद्रसिंह मेहता, पता:- एम.जेड.-06, रेफल टॉवर, इन्दौर (म.प्र.), (2) श्रीमती मनीषा पति श्री निलेश पोरवाल, पता:- 30-31, धेनु मार्केट, इन्दौर (म.प्र.), (3) सिद्धार्थ डोमिसाईल क्रियेशन प्रायवेट लिमिटेड तर्फे जयरेक्टर श्री निलेश पिता श्री विरेन्द्र कुमार पोरवाल, पता:- 18, धेनु मार्केट, इन्दौर (म.प्र.), (4) श्री हेमंत कुमार पिता श्री मदनलाल पाटीदार (कुलमी) पता:- ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) तर्फे खास मुख्यारगुहिता सार्धक रियल बिल्ट प्रायवेट लिमिटेड तर्फे जयरेक्टर श्री अश्विन पिता श्री चंद्रसिंह मेहता, पता:- एम.जेड.-06, रेफल टॉवर, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- ग्राम टिगरिया बादशाह, जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 31/1/3, 31/2/2/1, 31/2/2/2, 137/3, 137/4/1 कुल 4.673 हेक्टेयर में से 2.787 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय मध्यम श्रेणीय विकास (द ग्रेण्ड रियासत) उपयोग की अनुमति बाबद् ।

संदर्भ :- आपका आवेदन आवक क्रमांक 762 दिनांक 08/06/2019 के क्रम में ।

आवेदक को निम्नलिखित शासकीय विभागों से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त है ।

1. कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा म.प्र. नगर पालिका कॉलोनार्इजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते नियम 1998 के प्रावधान अनुसार कॉलोनार्इजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक/644/कॉलोनी सेल/2014/ इन्दौर दिनांक 09/04/2014 जारी किया गया था, जिसका नवीनीकरण पत्र क्रमांक 4417/कॉलोनी सेल/2019 दिनांक 04/02/2019 से दिनांक 17/02/2024 तक की समयावधि के लिये किया गया है एवं कॉलोनार्इजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक/648/कॉलोनी सेल/2014/इन्दौर दिनांक 16/04/2014 जारी किया गया था, जिसका नवीनीकरण पत्र क्रमांक 307/कॉलोनी सेल/2019 दिनांक 27/04/2019 से दिनांक 10/04/2024 तक की समयावधि के लिये किया गया है ।

2. प्रकरण में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक/आईएनडीएलपी-5440/19/नगानि/2019 इन्दौर दिनांक 17/05/2019 से आवासीय भूखण्डीय विकास (द ग्रेण्ड रियासत) उपयोग हेतु अभिन्यास अनुमोदित किया गया है ।

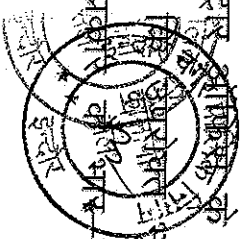
3. प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, हातोद जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक/24/अ-2/2012-13 दिनांक 06/07/2013 से आवासीय प्रयोजन (समूह आवास) हेतु किया गया है ।

4. तहसीलदार, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर द्वारा उपायुक्त, कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर को प्रेषित पत्र क्रमांक/747/सी-मल्हारगंज/19 इन्दौर दिनांक 09/05/2019 में यह उल्लेख किया गया है, कि उक्त भूमि के स्वामित्व संबंधी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

5. भू-अर्जन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, व्यपवर्तन हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.) को प्रेषित पत्र क्रमांक/5515/भू-अर्जन/2013 दिनांक 03/07/2013 से सशर्त अभिमत दिया गया है, कि तदानुसार भूमि वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी योजना में समाविष्ट नहीं है।

6. आवेदक द्वारा निगम के पक्ष में शपथ पत्र क्रमांक 14784/19 दिनांक 03/07/2019 का प्रस्तुत करते हुए लेख किया है कि उक्त भूमि स्थिति, नदी, नाले, प्राधिकारी की योजना अथवा अन्य किसी भी शासकीय भूमि में समाविष्ट नहीं है।

7. भूमि की सर्व रिपोर्ट एडवोकेट श्री विश्वेश त्रिपाठी, कार्यालयीन पता:- प्रथम मंजिल, 11/3 मोती तबेला, रजिस्ट्रार के पास, इन्दौर, (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत की है, जिसमें यह लेख है कि उक्त भूमि आवेदकों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर समस्त प्रकार की भूमि बोझ व अंतरण से मुक्त अवस्था में है।



8. भू-स्वामी श्री हेमन्त कुलमी पिता श्री मदनलाल जी कुलमी, ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.) एवं विकासकर्ता मेसर्स सार्थक रियल बिल्ड प्रायवेट लिमिटेड तर्फे जयरेक्टर श्री अश्विन पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता, पता:- 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) के मध्य पंजीकृत विकास अनुबंध लेख ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152017ए1592631 दिनांक 24/10/2017 एवं मेसर्स सार्थक रियल बिल्ड प्रायवेट लिमिटेड तर्फे जयरेक्टर श्री अश्विन पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता, पता:- 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) एवं श्री हेमन्त कुलमी पिता श्री मदनलाल जी कुलमी, पता:- ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.) तथा श्रीमती मनीषा पोरवाल पति श्री निलेश पोरवाल, पता:- 30-31, धेनु मार्केट, इन्दौर (म.प्र.) के मध्य निष्पादित पंजीकृत आम डीड ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152018ए1792090 दिनांक 07/12/2018 एवं भूमि-स्वामी मेसर्स सार्थक रियल बिल्ड प्रायवेट लिमिटेड तर्फे जयरेक्टर श्री अश्विन पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता, पता:- 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) एवं श्री हेमन्त कुलमी पिता श्री मदनलाल जी कुलमी, पता:- ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.) तथा सहमतिकर्ता श्रीमती मनीषा पोरवाल पति श्री निलेश पोरवाल, पता:- 30-31, धेनु मार्केट, इन्दौर (म.प्र.) के मध्य निष्पादित पंजीकृत विकास अनुबंध लेख ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152018ए1792078 दिनांक 07/12/2018 की प्रति प्रस्तुत किया है।

9. भू-स्वामी के प्रमाण स्वरूप विक्रय अनुबंध लेख ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152019ए1506106 दिनांक 16/07/2019 एवं हक त्याग ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152019ए1506093 दिनांक 16/07/2019 एवं शपथ पत्र क्रमांक 27544 दिनांक 19/07/2019 तथा भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका तथा खसरा बी-1 एवं पी-II की प्रति प्रस्तुत की है। तदनुसार भूमि आवेदक के नाम दर्ज है, जिसकी प्रति संलग्न है।

10. सिंगल डोर की बैठक दिनांक 12/07/2019 में प्राप्त अभिमत/अनापत्ति को दृष्टिगत रखते हुए विकास अनुमति जारी करने की अनुशंसा की गई है।

आवेदक द्वारा निम्नलिखित शुल्क जमा किये गये हैं।

1. आवेदक द्वारा कॉलोनी विकास अनुमति के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन करते हुए आवेदन शुल्क आर.टी.जी.एस. दिनांक 03/07/2019 से राशि रुपये 7,03,750/- (अक्षरी रुपये सात लाख तीन हजार सात सौ पचास) कोटक महिन्द्रा बैंक, शाखा:- 580, एम.जी. रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6311543328 में जमा किये गये हैं।
2. सुपरविजन चार्जस की राशि रुपये 4,74,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख चौहत्तर हजार) आर.टी.जी.एस. दिनांक 03/07/2019 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा:- 580, एम.जी. रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6311543328 में जमा।
3. आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र क्रमांक 1924/2020 दिनांक 20/02/2020 अनुसार ओवरहेड टैंक/सम्पवेल/प्रेशर पम्प का निर्माण आपको स्वयं करना होगा एवं ओवरहेड टैंक/सम्पवेल/प्रेशर पम्प की ड्राईंग-डिजाईन तकनीकी संस्था से अनुमोदन कराना होगी।
4. कर्मकार कल्याण उपकर की राशि रुपये 2,37,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख सैंतीस हजार) नेपट दिनांक 30/09/2019 से सचिव म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, इन्दौर के संबंधित खाता क्रमांक 04960100009000 में जमा।
5. नर्मदा केपीटल रिनिवल शुल्क की राशि रुपये 19,11,514/- (अक्षरी रुपये उन्नीस लाख ग्यारह हजार पांच सौ चौदह) आर.टी.जी.एस. दिनांक 27/09/2019 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा 580, एम.जी.रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6011551340 में जमा।
6. मध्यप्रदेश नगर पालिक कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 संशोधन विधेयक 19 अप्रैल 2012 के नियम 10 अनुसार आश्रय शुल्क की राशि रुपये 21,48,250/- (अक्षरी रुपये इक्कीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ पचास) आर.टी.जी.एस. दिनांक 24/09/2019 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा एम.जी.रोड़, इन्दौर के निगम खाता क्रमांक 6711196179 में जमा।

7. बाह्य विकास शुल्क की राशि रुपये 13,93,500 / - (अक्षरी रुपये तेरह लाख त्रियानवें हजार पांच सौ) आर.टी.जी.एस. दिनांक 26/09/2019 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा एम.जी. रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6311543328 में जमा।

8. संपत्ति कर वर्ष 2019-20 आनलाईन जारी संपत्तिकर अनापत्ति दिनांक 16/10/2019 की प्रति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त राशि जमा की गई होने से एवं संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति एवं स्वीकृति प्राप्त होने से एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अभिन्यास अनुमोदित होने से ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 31/1/3, 31/3, 31/2/2/1, 31/2/2/2, 137/3, 137/4/1 कुल रकबा 4.673 हेक्टेयर में से 2.787 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (द ग्रेण्ड रियासत) उपयोग हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत निर्मित म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनार्डजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्तों) नियम 1998 के अधीन तथा सिंगल डोर प्रणाली की बैठक दिनांक 12/07/2019 को बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्न शर्तों के अधीन विकास अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. निगम के पक्ष में धरोहर के रूप में रखे गये भूखण्ड वाले स्थान पर सूचना बोर्ड लगाना होगा, तथा उस पर भूखण्ड निर्माण निगम में धरोहर है, तथा उनका क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है, यह उल्लेख करना आवश्यक है।
2. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त व्यपवर्तन आदेश की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. भूखण्डों का विक्रय पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर करना होगा।
5. आवेदक के भू-स्वामित्व के संबंध में यदि कोई वाद माननीय न्यायालय अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग में प्रचलित वाद पर यदि कोई निर्णय आवेदक के विरुद्ध पारित होता है, तो ऐसी स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं पारित निर्णय का पालन आवेदक को करना होगा।
6. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पत्र क्रमांक/आईएनडीएलपी-5440/19/नयानि/2019 इन्दौर दिनांक 17/05/2019 के अनुसार आवेदक को चयनित विकल्प अनुसार समाज के कमजोर आय वर्ग हेतु 08 भूखण्ड एवं निम्न आय वर्ग हेतु 06 भूखण्ड आरक्षित रखना होंगे एवं जिनका आवंटन नियमों के प्रावधान अनुसार करना होगा।

7. आवेदक द्वारा विकास के पूर्व इन्दौर विकास प्राधिकारी की विद्यमान अथवा प्रस्तावित योजना के प्रस्तावों एवं अभिन्यास में दर्शित आस-पास के विद्यमान विकास से समन्वय आवश्यक होगा।

8. आवेदक द्वारा कॉलोनी के विकास के कुल भूखण्डीय क्षेत्रफल के पेटे विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से अभिन्यास में लाल रंग से अंकित सदर स्थल के भूखण्ड क्रमांक 01 क्षेत्रफल 861.71 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 02 क्षेत्रफल 1059.01 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 07 क्षेत्रफल 167.28 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 13 क्षेत्रफल 223.04 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 23 क्षेत्रफल 194.51 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 35 क्षेत्रफल 167.28 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 36 क्षेत्रफल 223.04 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 55 क्षेत्रफल 292.75 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 62 क्षेत्रफल 362.91 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 63 क्षेत्रफल 160.13 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 72 क्षेत्रफल 219.33 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 86 क्षेत्रफल 139.40 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 87 क्षेत्रफल 139.40 वर्गमीटर, इस प्रकार कुल 13 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 4209.79 वर्गमीटर लगभग (जिसका मूल्य रुपये 3,03,10,488/-) है, जो विकास कार्य पूर्ण होने तक ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152020ए1070826 दिनांक 28/01/2020 से धरोहर के रूप में रखे गये है। कॉलोनाईज्ड द्वारा उपरोक्त धरोहर रखे गये भूखण्डों का न तो इनका विक्रय किया जावेगा और ना ही उनकी रजिस्ट्री की जावेगी। निगम के मतानुसार विकास कार्य अपूर्ण रहने पर उक्त भूखण्ड राजसात किये जाने का अधिकार निगम को होगा।
9. शुल्को की गणना के अंतर की स्थिति की नियमानुसार अंतर की राशि जमा कराने का दायित्व आवेदक का होगा।
10. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पत्र क्रमांक/आईएनडीएलपी-5440/19/नग्रापि/2019 इन्चौर दिनांक 17/05/2019 इन्चौर दिनांक 05/03/2019 में दर्शित अनुसार सड़कों की चौड़ाई रखना होगी, एवं उद्धान हेतु आरक्षित भूमि 2787 स्क्वेयर मीटर भूमि पर उद्धान विकास कार्य पूर्ण करना होगा।
11. रोड सेट बैक हेतु आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने पाये यह सुनिश्चित करना होगा।
12. आवेदक द्वारा निगम के पक्ष में शपथ पत्र क्रमांक 1762/2020 दिनांक 14/02/2020 प्रस्तुत करते हुए शहर की चार दिशाओं में प्रस्तावित मुख्य मार्गों से संलग्न 500-500 मीटर की चौड़ाई तक में यदि उक्त कॉलोनी/मल्ली आती है, तो नगर पालिक निगम, इन्चौर को बेटरमेन्ट टैक्स देने की सहमति प्रदान की गई है, तदनुसार नगर पालिक निगम, इन्चौर की परिषद प्रस्ताव क्रमांक 14 दिनांक 03/10/2019 में उल्लेखित मार्गों से प्रश्नाधीन स्थल संलग्न होने पर बेटरमेन्ट टैक्स की राशि आवेदक को अनिवार्यतः जमा कराना होगी।
13. उपरोक्त कॉलोनी में विद्युत पोल पर लाईट फिटिंग लगानी होगी। लाईट फिटिंग नहीं लगाने की दशा में 3,000/- रुपये प्रति पोल के मान से फेडरल बैंक, शाखा:- इन्चौर (म.प्र.) की राशि रुपये 1,23,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख तेईस हजार) की एफ.डी.आर. क्रमांक (कस्टमर आय.डी.) 5538424 दिनांक 01/11/2019 की प्रस्तुत की है, जो विद्युत पोलो पर फिटिंग लगाने के उपरांत ही मुक्त होगी।

14. उपरोक्त कॉलोनी में वॉटर हार्वस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। सार्वजनिक उद्यान में जहां वर्षा के समय पानी इकट्ठा होना है, वहां वॉटर रिचार्जिंग का पिट बनवाना होगा।
15. कॉलोनी के पास स्थित नर्मदा की मुख्य लाईन से कनेक्शन लेने हेतु कॉलोनाइजर को नियमानुसार पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी, एवं स्वयं के व्यय से उक्त लाईन को जोड़ना होगा।
16. पर्यावरण विभाग/प्रदूषण मण्डल का प्रमाण पत्र आवेदक को पृथक से प्राप्त करना होगा। (आवश्यक होने की स्थिति में।)
17. प्रस्ताव अनुसार सेट्टिक टैंक/एस.टी.पी./कचरा घर/ऐमीनिटीस/ट्रांसफार्मर इत्यादि का नियमानुसार निर्माण करना होगा।
18. प्रश्नाधिन भूमि के संबंध में कोई वाद अथवा शिकायत किसी शासकीय विभाग में लंबित होने पर समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।
19. अभिन्यास में सदर स्थल के पहुंच मार्ग एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों का विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत करना होगा एवं पहुंच मार्गों का निर्माण करना होगा।
20. कॉलोनी के रूढ़िगत पानी की निकासी की व्यवस्था आवेदक को करना होगी।
21. सदर स्थल पर आने-जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण न हो व उक्त रास्ते बंद न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।
22. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में रिकार्ड अनुसार शासकीय, नजूल, अतिशेष घोषित भूमि व प्रचलित रास्ते व पानी निकासी के स्रोत पर अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करना होगा।
23. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में अंकित समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।
24. भूमि के संबंध में एवं अधोसंरचना के संबंध में कोई वाद आदि उत्पन्न होने पर इसकी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।
25. प्रकरण में प्रावधान अनुसार अन्य शुल्को के अतिरिक्त बाह्य विकास शुल्क के रूप में राशि रूपये 13,93,500/- (अक्षरी रूपये तेरह लाख त्रियानवें हजार पांच सौ) जमा कराये गये हैं। लेकिन ड्रेनेज संयोजन के समय झोन की ड्रेनेज व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति अनुसार मानक के आधार पर प्रावधान अनुसार ड्रेनेज संयोजन के आवश्यक शुल्क जमा कराते हुये संयोजन की पृथक से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।
26. भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा।

27. भू-संपदा विनियामक अधिनियम 2016 (रिया एक्ट) के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
28. प्रावधानों के तहत सदर स्थल पर वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव सुनिश्चित हो।
29. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल, इन्दौर विकास प्राधिकरण, तहसीलदार तहसील इन्दौर, एवं अन्य समस्त शासकीय विभागों द्वारा दी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा किसी भी विभाग की आपत्ति आने पर जासी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
30. उक्त स्वीकृति प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेज के आधार पर जासी की जा रही है जो किसी प्रकार के स्वामित्व सिद्ध करने हेतु सहायक नहीं होगा और ना ही किसी कानूनी कार्यवाही हेतु सहायक होगा। नगर निगम इन्दौर अन्य कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
31. स्थल पर कॉलोनी के विकास तथा निर्माण संबंधी कार्य के लिये नियुक्त श्रमिकों के लिये न्यूनतम आवश्यक सुविधायें जैसे पीने का पानी, आश्रय, शौचालय आदि का प्रबंध करना अनिवार्य होगा। तद्उपरांत ही स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ किये जावे।
32. स्थल पर विकास कार्य संलग्न अनुमोदित प्राक्कलन (Estimate) अनुसार हो यह सुनिश्चित करे। किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में पृथक से सूचित कर उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
33. कॉलोनी की विकास अनुमति जासी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा परन्तु यदि कॉलोनी के विकास कार्य में कोई कमी या कमियाँ पाई जाती है, तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिये उक्त समय सीमा में अधिकतम एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी।
34. प्रकरण में किसी अन्य विभाग की स्वीकृति आवश्यक होने पर पृथक से आवेदक को प्राप्त करना होगी।
- आपके द्वारा दी गई जानकारी एवं मालकी दस्तावेजों में छुपाये गये तथ्यों के उजागर होने पर एवं भूमि स्वामित्व/सीमा संबंधी किसी प्रकार के विवाद या किसी विभाग की आपत्ति आने पर तथा उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में दी गई विकास की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- (नस्ती पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

  
छपयुक्त  
कॉलोनी सेल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक : ..... / कॉलोनी सेल / 2020  
प्रतिलिपि :-

दिनांक : .....

1. सचिव / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, पता:- रेरा भवन, अरेरा हिल, मेनरोड़ नंबर 1, भोपाल - 462011 की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवाकर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा भूमि सीमा कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं नजूल अधिकारी, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. अपर आयुक्त कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अपर आयुक्त राजस्व, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय स्कीम नंबर 78, पार्ट-1, अरण्य, विजय नगर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. कार्यपालन यंत्री, भवन अनुज्ञा शाखा मुख्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
11. कार्यपालन यंत्री, जल प्रदाय, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
12. उपपंजीयक, क्षेत्र क्रमांक 04, पंजीयन कार्यालय, महुनाका, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. उपायुक्त, राजस्व, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. भवन अधिकारी, झोन क्रमांक 16, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. झोनल अधिकारी, झोन क्रमांक 16, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

उपायुक्त  
कॉलोनी सेल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर